न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 88/2024 वाद

GCMS No. – 2024/330

1. हिम्मत सिंह पुत्र बल्लभसिंह जाति महाजन आयु तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० निवासी कनेरा

–वादी

बनाम

1. लहरसिंह पुत्र बल्लभसिंह जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

2. विजयसिंह पुत्र बल्लभसिंह जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– नरेन्द्र वैष्णव् – अधिवक्ता वादी
2– घनश्याम असावा – अधिवक्ता प्रतिवादी नम्बर 1 व 2

:: निर्णय :: दिनांक :– 06.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक कृषि आराजियात वाके ग्राम कनेरा पटवार हल्का कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज० के खाता नं0 872 की नवीन आराजी नं० 1606 रकबा 0.2100 हेक्टेयर लगानी 8 रुपये 82 पैसा, आराजी नं0 1607 रकबा 0.2300 हेक्टेयर लगानी 9 रुपये 66 पैसा, आराजी नं0 1610 रकबा 0.3900 हेक्टेयर लगानी 16 रुपये 38 पैसा, आराजी नं0 3365 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गे०मु०चाह आराजी नं0 3366 रकबा 1.1600 हेक्टेयर लगानी 7 रुपये 54 पैसा, कुल किता 5 कुल रकबा 2.0000 हेक्टेयर कुल लगानी 42 रुपये 40 पैसा, स्थित हैं।

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़)

2. वादग्रस्त आराजियात वादी एवं [illegible] अधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात हैं जो वादी के पिता बल्लभ[illegible] पित[illegible]मलजी महाजन निवासी कनेरा के जमाने से चली आ रही [illegible] 05/2008 हो गया है बल्लभसिंह के तीन पुत्र [illegible]वादी नं0 1 लहरसिं[illegible] प्रतिवादी नं0 2 विजयसिंह हैं। इस प्रकार वादग्रस्त आ[illegible]जियात में बल्लभसिंह के [illegible] हिस्से मे से वादग्रस्त आराजियात में वादी का 1/3 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं० 1 का 1/3 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 2 का 1/3 हक हिस्सा, निहित चला आ रहा हैं, तथा वादग्रस्त आराजियात वादी के पिता बल्लभसिंह एवं उनके भाई सज्जनसिंह व

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

जसवन्तसिंह के नाम उनके पिता जेठमल पिता छोटुलाल महाजन से विरासत से मिली है और वादी के पिता व उनके भाईयों के मध्य आपस सहमति से बटवाडा अलग अलग हुआ है और उक्त भूमि जरिये बटवारे से वादी के पिता बल्लभसिंह पिता जेठमल के नाम अलग खातेदारी मे संवत् 2029–2032 मे विधिवत रुप से दर्ज हुई इस प्रकार उक्त भूमि वादी के पिता बल्लभसिंह के नाम अलग खातेदारी मे दर्ज होने के बाद वादग्रस्त आराजियात में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता का नाम बल्लभसिंह के बजाए बलवन्तसिंह सहवन से दर्ज कर दिया है जबकि वादी के पिता बल्लभसिंह के सभी पहचान के आवश्यक दस्तावेजात में एवं पुराने राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता का नाम शुरु से बल्लभसिंह दर्ज चला आ रहा था, वादी ने प्रतिवादीगणो को वादग्रस्त आराजियात में वादी के पिता का नाम बलवन्तसिंह के बजाए बल्लभसिंह घौषित करा कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है और वादी के पिता नाम बलवन्तसिंह के बजाए बल्लभसिंह घौषित करा दर्ज कराने से इंकार हो गये हैं। इसलिए वादी वादग्रस्त आराजियात में वादी के पिता का नाम बलवन्तसिंह के बजाए बल्लभसिंह घौषित करा कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हैं।

3. वाद कारण दिनांक 20/05/2024 को जब वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात मे वादी के पिता का नाम बलवन्तसिंह के बजाए बल्लमसिंह घौषित करा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल करने लगे व नाम पर कराने से इंकार हो गये से हर रोज उत्पन्न होकर यह दावा अंदर अवधी पेश किया है।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। वादी मय अधिवक्ता एंव प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री घनश्याम असावा ने इकबालीय जवाबदावा मय अधिकार पत्र के प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई । मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी व प्रतिवादी गण ने राजीनामा पेश किया जिसे तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में वादी के संलग्न दस्तावेज ग्राम पंचायत कनेरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रमाणपत्र आधार कार्ड, जन आधार कार्ड की प्रति पेश की जिसमे वादी व प्रतिवादीगण के पिता का नाम बलवन्तसिंह के बजाए बल्लभसिंह किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Rancholi
Date: 2024.10.10 15:42:02 IST
Reason: SelfAttested

घोषणा है कि

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम कनेरा पटवार हल्का कनेरा की आराजी नं० 1606 रकबा 0.2100 हेक्टेयर , आराजी नं० 1607 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, आराजी नं0 1610 रकबा 0.3900 हेक्टेयर , आराजी नं0 3365 रकबा 0.0100 हेक्टेयर गे०मु०चाह आराजी नं0 3366 रकबा 1.1600 हेक्टेयर भूमि, कुल किता 5 कुल रकबा 2.0000 हेक्टेयर भूमि में वादी हिम्मतसिंह व प्रतिवादी 1 लहरसिंह व प्रतिवादी नंबर 2 विजयसिंह के पिता का नाम बलवंतसिंह महाजन के बजाए बल्लभसिंह महाजन

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner